

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 05.11.2025

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.11.2025 को थानाध्यक्ष महुली *श्री रजनीश राय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 350/2025 धारा 3(1),2(बी)(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनुप सिंह उर्फ मंगल सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी गायघाट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को अभियुक्त के घर से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अनुप सिंह उर्फ मंगल सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी गायघाट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।

आपराधिक इतिहास:-

1. 734/2016 34,392,411 भा0द0स0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
2. 764/2016 3(25) आयुध अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
3. 913/2016 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
4. 765/2016 406,420,467,468,471 भा0द0स0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
5. 183/2018 504,506 भा0द0स0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
6. 186/2018 3/25 आयुध अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
7. 322/2018 41,411,413,420,467,468,471 भा0द0स0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
8. 244/2020 3/25 आयुध अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
9. 245/2020 8/20 NDPS Act थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
10. 010/2021 41,411,420,467,468,471 भा0द0स0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
11. 239/2020 380,411,457 भा0द0स0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर
12. 270/2020 41,411,413 भा0द0स0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
13. 225/2021 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना महुली जनपद
14. 48/2025 115(2),351(3),352 बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
15. 79/2025 115(2),351(3),352 बीएनएस व 3(1)द, ध, 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
16. 170/2025 303(2)/3(5)/317(2)/317(4)/112 बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगरा।
17. 76/2018 323/504/506 भा0द0स0 व 3(1)द, ध, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

थानाध्यक्ष श्री रजनीश राय, हे0का0 सम्स तबरेज, हे0का0 मिथिलेश्वर चौधरी, का0 बब्ल यादव ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 255 वाहनों से 2,34,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.11.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 255 वाहनों से 2,34,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

आज दिनांक 05.11.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता अनुराग वर्मा पुत्र मुरारी लाल वर्मा निवासी डलेलगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत गौरापार मोड़ खलीलाबाद के पास से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया । उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1021/2025 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्ड नियत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छ: माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था । अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था । जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 05.11.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनुराग वर्मा पुत्र मुरारी लाल वर्मा निवासी डलेलगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 66/2023 धारा 34/392/411 भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

02.मु0अ0सं0 67/2023 धारा 34/392/411 भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

03.मु0अ0सं0 68/2023 धारा 34/392/411 भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*- उ0नि0 संजय कुमार यादव, है0का0 आकाश कुमार, का0 सुरेश प्रसाद, का0 शुभम दूबे ।**